Disclaimer

This piece of document has been developed by Centre for Civil Society from the original document received from the concerned department directly or through Right to Information application. This is an attempt to bring crucial documents in public. Centre has been attentive to not to make any error while creating this document. However, Centre is not responsible for any error in the document. User of this document would have the complete responsibility of consequences coming out from use of this document whatsoever it may be. Centre would appreciate people/organization for bringing in its notice any error observed by the user.

राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम, 1978

विषय सूची

1. संक्षित नाम
2. परिभाषएं
3. चालक अनुज्ञप्ति तथा रिक्शा अनुज्ञप्ति आवश्यक
4. चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु पात्रता
5. रिक्शा अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए पात्रता
6. रिक्शा अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया
7. रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्ते
8. रिक्शा पर रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाना
9. चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया
10. चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु शर्ते
11. चालक के कर्तव्य
12. अनुज्ञप्ति फीस
13. रिक्शा अनुज्ञप्ति
14. यात्री भाड़ा और किराया प्रभार
15. रिक्शा अनुज्ञप्ति और चालक अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण
16. रिक्शे को रोकने, अभिग्रहण करने या निरूद्ध करने की शक्ति
17. रिक्शा अनुज्ञप्ति और रिक्शा का निरीक्षण
18. रिक्शे का रोगाणु रहित करना
19. चालक अनुज्ञप्ति और रिक्शा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण
20. रिक्शा की संख्या का परिसीमन और इसका क्रमिक उत्पादन

21. अपील

22. अपराध

23. रिक्शाओं के लिये स्टेण्ड

24. राजय सरकार या निदेशक की शक्ति

25. अपराधों का अभिसंधान या समझौता करने की शक्ति

26. निरसन एवं व्यावृत्ति

जी.एस.आर. 14 चूंकि मानव स्वास्थ्य की रक्षा एवं सार्वजनिक स्थानों, सड़को, रास्तों व गलियों में जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिये, रिक्शा चालकों के सुधार के लिये एवं सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, रास्तों व गलियों में रिक्शा के प्रयोग करने, चलाने, उपयोग करने, प्रवर्तित करने एवं ठेलने को शनैः शनैः समाप्त करने एवं निषिद्ध ठहराने के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़को, रास्तों व गलियों में रिक्शों के प्रयोग करने, चलाने, उपयोग करने, प्रवर्तित करने एवं ठेलने के लिये विनियम बनाये जावें:

अतएव अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1959) की धारा 297–ए की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में इन्हें इस अधिनियम की धारा 297–ए की उपधारा (3) के अधीन राजस्थान राजपत्र भाग 3(ख) के विशेषांक विनियम, बनाती है, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम :– (1)** ये विनियम राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम, 1978 कहलायेंगेः–

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) इनका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राजय पर होगा।

2. **परिभाषाएं :– (1)** इन नियमों में जब तक संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (अधिनियम संख्या 38 सन् 1959) से है।

(ख) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत बोर्ड के अध्यक्ष से है तथा उसमें बोर्ड के भंग होने या अधिक्रमित होने की अवस्था में उसका प्रशासक सम्मिलित है।

(ग) ''अधिशासी अधिकारी'' से बोर्ड का अधिशासी अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें परिषद का आयुक्त सम्मिलित है।

(घ) ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से अभिप्रेत बोर्ड का अधिशासी अधिकारी है।

(ड0) ''चालक'' से अभिप्रेत उस व्यक्ति से है जो अपनी जीविका मुख्यतः स्वंय रिक्शा चलाकर उपार्जित करता है।

(च) ''चालक अनुज्ञप्ति'' से अभिप्रेत उस आलेख से है, जो इन विनियमों के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जिसमें विनिर्दिष्ट व्यक्ति को रिक्शा चलाने, ठेलने, प्रयोग करने, प्रवर्तित करने या उपयोग में लाने के लिये प्राधिकृत किया गया हो।

(छ) ''निदेशक'' से तात्पर्य निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान से है।

(ज) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है, बोर्ड व साथ–साथ परिषद् भी जैसा कि अधिनियम की धारा 3 (2) और (8) में यथा परिभाषित है।

(झ) ''रिक्शा' से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 297 की उपधारा (3) में परिभाषित रिक्शा से है।

(ञ) ''रिक्शा अनुज्ञप्ति'' से अभिप्रेत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई इस आशय की अनुज्ञप्ति से है कि इन विनियमों से प्रावधानों के अनुसार रिक्शा पंजीकृत एवं अनुज्ञप्त कर लिया गया है।

(2) उन शब्द और अभिव्यक्तियों, जो इन विनियमों में प्रयुक्त की गई है परन्तु परिभाषित नहीं की गई है, के वे ही अर्थ होंगे जो कि उक्त अधिनियम में उनको समनुदेशित किये गये है।

3. चालक अनुज्ञप्ति तथा रिक्शा अनुज्ञप्ति आवश्यक :– (1) कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के प्रभाव में आने के पश्चात् किसी रिक्शे को प्रयोग करने, चलाने या उपयोग में लेने या निजी उपयोग के लिये अपने स्वामित्वाधीन या अपने पास नहीं रखेगा और कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की सीमाओं के भीतर गलियों और सार्वजनिक स्थानों में न तो रिक्शा ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा और न चलायेगा या उपयोग में लेगा जब तक कि वह इन विनियमों के अधीन उसके द्वारा अभिप्राप्त चालक अनुज्ञप्ति तथा रिक्शा अनुज्ञप्ति धारण न करता हो।

(2) रिक्शा अनुज्ञप्ति केवल उसी व्यक्ति को प्रदान की जावेगी जो चालक अनुज्ञप्ति धारण करता हो अथवा विनियम 4 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु पात्र हो।

परंतु निम्न श्रेणी के रिक्शा स्वामियों की अवस्था में उन द्वारा धारित रिक्शाओं के चालक अनुज्ञप्ति उन द्वारा मनोनित ऐसे व्यक्ति को दी

जा सकेगी जो विनियम 4 के खण्ड (2) से (8) में प्रावभित पात्रता रखता हो।

(i) वे अनुज्ञप्ति रिक्शा चालक जो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हो और जिसके लिए अधिकारिता रखने वाले सरकारी चिकित्सकीय विधिवेत्ता द्वारा इस आशय का चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किया गया हों एवं उसके पास जीविकोपार्जन हेतु अन्य कोई समुचित साधन नहीं हों।

(ii) उस मृतक चालक, जिसके पास उसकी मृत्यु के समय विधि मान्य रिक्शा चालक अनुज्ञप्ति थी, की अवयस्क पुत्री/पुत्रियां व उसकी विधवा पत्नी यदि ऐसे मृतक चालक के परिवार के इस सदस्यों के पास जीविकोपार्जन का अन्य कोई समुचित साधन न हो, एवं

(iii) ऐसे रिक्शे जो केवल सामान ढोने के लिये प्रयुक्त या उपयोग किये जावे एवं एतदर्थ इसकी संरचना विशिष्ट प्रकार से की हुई हों।

4. चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु पात्रता :– इन विनियमों के अधीन कोई भी चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त किये जाने हेतु पात्र होगा, यदि –

(1) वह चालक हो, और इन विनियमों के प्रारम्भ के समय किसी बोर्ड द्वारा प्रदान की गई चालक अनुज्ञप्ति धारण करता हो या जो राजस्थान में कहीं भी दिनांक 30 जून 1982 से पूर्व रिक्शा चला रहा हो।

(2) वह 18 वर्ष से कम आयु का न हो,

(3) उसके स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति ऐसी हो कि वह रिक्शा चलाने (ठेलने) का श्रम और तनाव सहन कर सके,

(4) वह किसी संक्रामक रोग से पीड़ित न हो,

(5) उसकी दृष्टि, शक्ति और श्रवण शक्ति संतोषजनक हो,

(6) वह यातायात नियमों से सूपरिचित हो और उसे नगरपालिका सीमाओं के भीतर की सड़को, रास्तों, गलियों, पर्यटन के महत्वपूर्ण स्थानों यदि कोई हों और कार्यालयों की अच्छी जानकारी हो,

(7) वह स्वभावतः अपराधी या स्वभावतः शराब पीने वाला न हो, और

(8) उसे नैतिक अधमतः के लिये किसी न्यायालय से सिद्ध–दोष नहीं किया गया हो,

परंतु विनियम 3 के उपनियम (2) के परंतुक मे निर्दिष्ट रिक्शा स्वामियों की अवस्था में उन द्वारा धारित अनुज्ञप्त रिक्शाओं के चालक हेतु चालक अनुज्ञप्ति उन द्वारा मनोनित ऐसे व्यक्ति को दी जा सकेगी जो विनियम 4 के खण्ड (2) से (8) में प्रावधित पात्रता रखता हों,

5. **रिक्शा अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये पात्रता :–** इन विनियमों के अधीन कोई भी व्यक्ति एक रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु पात्र होगा, यदि–

(i) वह विनियम 4 व 9 के अधीन चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त कर चुका है अथवा चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत कर चुका है एवं यह चालक के लिये पात्र है।

(ii) उसके स्वामित्वाधीन या उसके पास राजस्थान राजय में कहीं भी एक से अधिक रिक्शा न हो,

(iii) वह 18 वर्ष से कम आयु का नहीं हो,

परंतु विनियम 3 के उप विनियम (2) के परन्तुक में निर्दिष्ट रिक्शा स्वामियों की अवस्था में उपर्युक्त प्रावधान प्रभावशील नहीं होने व रिक्शा स्वामी के चालक न होने पर भी जारी की जा सकेगी बशर्ते उन्होंने अपने रिक्शे के चालक के रूप में विनियम 4 के अधीन किसी व्यक्ति को मनोनीत कर दिया है व ऐसा व्यक्ति चालक हेतु विनियम 4 के खण्ड (2) से (8) में प्रावधित पात्रता रखता हों।

6. **रिक्शा अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रक्रिया :– (1)** कोई भी व्यक्ति जो इन विनियमों के अधीन रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु पात्र हो, वह लिखित में प्रपत्र–1 में रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

(2) लुप्त ।

(3) रिक्शा अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी उसे प्रपत्र–I में रजिस्टर में क्रमशः रजिस्ट्री करेगा और प्रपत्र– II में आवेदक को रसीद देगा।

(4) आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन की समीक्षा करेगा और जांच करने के पश्चात् यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक समझे, यह विनिश्चय करेगा कि क्या आवेदक रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु पात्र है।

(5) उप–विनियम (4) के अधीन जांच और विनिश्चयन के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा शपथ पर की गई घोषणा पर साधारणतया विश्वास कर लिया जायेगा जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों का वर्णन करते हुए अन्यथा आदेश न दिया जाये।

(6) उप–विनियम (4) के अधीन विनिश्चय आवेदक के प्रारूप 1 में संसूचित किया जायेगा, यदि आवेदक रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु पात्र पाया जाय, तो वह अपना रिक्शा या रिक्शे अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष ऐसे स्थान पर और ऐसे समय तथा तारीख पर

निरीक्षणार्थ पेश करेगा जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी इस प्रयोजनार्थ नियत करें, परंतु इस प्रकार नियत तारीख आवेदक पर नोटिस तामील किए जाने की तारीख से 15 दिन पूर्व की नहीं होगी।

(7) यदि आवेदक दिये गये स्थान, समय एवं तारीख पर निरीक्षणार्थ रिक्शा पेश करने में असफल रहता है तो रिक्शा अनुज्ञप्ति के लिये उसका आवेदन रद्द कर दिया गया समझा जाएगा जब तक कि दिये गये समय एवं तारीख की समाप्ति से पूर्व, आवेदक के आवेदन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय न बढा दिया जाय, जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित में वर्णित पर्याप्त आधारों पर 30 दिन तक बढ़ाने में समक्षम होगा।

(8) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा रिक्शा का निरीक्षण करेगा और स्वंय को संतुष्ट करेगा कि :–

(क) रिक्शा ठोस बनावट का है और काफी मजबूत है और अच्छी दशा में है,

(ख) रिक्शे की चौड़ाई बगनों (अच्छादनों) को सम्मिलित करते हुए 90 सेंटीमीटर से अधिक नहीं है।

(ग) रिक्शें का हुड वाटर प्रुफ वस्तु का बना हुआ है, सवारियों के लिए गद्दों और सीटों का अस्तर पर नमर चमड़े या रेगजीन का बना है,

(घ) रिक्शा के आगे के भाग में बत्ती और एक घंटी लगी हुई हैं तथा पीछे की ओर एक लाल प्रतिबिम्बक या लाल बत्ती या खतरें की लाईट लगी हुई है एवं उनके ब्रेक मजबूत तथा अच्छी हालत में है।

(ड0) रिक्शा 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है,

(च) सामान ढोने के प्रयोजन हेतु रिक्शा केवल तत्प्रयोजनार्थ ही प्रयुक्त या उपयोग किया जा सकेगा व उसका उपयोग या प्रयोग अन्यथा नहीं हो सकेगा व उसकी संरचना सामान ढोनें हेतु काफी सुदृढ व भार वहन करने हेतु अधिक है।

(9) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उप–नियम (8) के अनुसार संतुष्ट है, तो वह प्रपत्र–V में रजिस्टर में रिक्शा रजिस्ट्रीकृत करेगा और प्रपत्र–II में रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात् प्रपत्र–VI में आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।

(10) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उप–विनियम (8) के अनुसार संतुष्ट नहीं होता है तो वह निरीक्षण करने के तत्काल पश्चात् आवेदक को त्रुटियां दूर करने के लिये तथा इस सम्बंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उसे दिए गए निर्देशों की अनुपालना करने एवं निश्चित किए

गए समय, तारीख एवं स्थान पर निरीक्षण हेतु रिक्शा पुनः लाने के लिये कहना, निश्चित किए गए समय, तारीख और स्थान की सूचना आवेदक को उसी समय नहीं दे दी जाएगी तथा दिया गया समय, सूचना दिए जाने की तारीख से 15 दिन से कम और 30 दिन से अधिक का नहीं होगा।

(11) आवेदक दिए गये समय, तारीख एवं स्थान पर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष निरीक्षण हेतु रिक्शा पुनः प्रस्तुत करेगा, यदि आवेदक दिये गये समय, तारीख एवं स्थान पर अपना रिक्शा निरीक्षणार्थ पेश नहीं करता है या निरीक्षण करने के पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी उप–नियम के अनुसार संतुष्ट नहीं होता है तो रिक्शा अनुज्ञप्ति के लिए उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उप–विनियम (8) के अनुसार संतुष्ट हो जाता है तो, यह रिक्शा प्रपत्र–VI में रजिस्ट्रीकृत कर रजिस्ट्रेशन संख्या आवंटित करेगा और प्रपत्र–II में रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करने के पश्चात् आवेदक को प्रपत्र–VI में रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान कर देगा।

स्पष्टीकरण :– इन विनियमों के अधीन रिक्शा अनुज्ञप्ति व चालक अनुज्ञप्ति

दोनों साथ– साथ प्रदान की जाएगी।

7. रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्ते :– इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक रिक्शा अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन होगी और इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्ति धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति :–

(क) विनियम 5 में प्रावधित अपवादों को छोड़कर यह रिक्शा जिसके लिये उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है किसी अन्य द्वारा ठेलने, प्रयोग करने, प्रवर्तित करने या चलाने की अनुज्ञा नहीं देगा,

(ख) अपने पास चलाने के लिए ऐसे रिक्शे को नहीं रखेगा जिसके लिए इन विनियमों के अधीन कोई रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान न की गई हों,

(ग) अपने पास, विनियम 5 के उपबंधो के अध्यधीन एक से अधिक रिक्शा नहीं रखेगा।

(घ) उक्त रिक्शे की मरम्मत करने एवं उसे रोगानुरहित कराने के बारे में किसी भी आदेश की, जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी जारी करें, अनुपालना करने में उपेक्षा नहीं करेगा।

(ड0) अन्य रिक्शा या दूसरे वाहन को भाड़े या किराए पर लेने से न तो रोकेगा और न ही रोकने का प्रयत्न करेगा, या किसी व्यक्ति को किसी रिक्शा या अन्य वाहन पर चढ़ने या उतरने में जानबूझ कर बाधा या अड़चन नहीं डालेगा।

(च) उस किरया प्रभार या भाड़े में यदि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो, अधिक किराया या भाड़ा वसूल नहीं करेगा।

(छ) दण्डनायक या अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के या ड्यूटी पर तैनात पुलिस दल के किसी सदस्य के आदेश के अनुसरण में अपना रिक्शा पेश करेगा।

(ज) अपने रिक्शे को सार्वजनिक स्थान, फुटपाथ या सड़क पर इस प्रकार से खड़ा नहीं करेगा कि उससे यातायात में बाधा या असुविधा उत्पन्न हो।

(झ) अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा प्राधिकृ किसी अधिकारी और ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी के विधि पूर्ण निर्देशों की अवज्ञा नहीं करेगा और अपनी रिक्शा अनुज्ञप्ति का किसी भी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं करेगा।

(ञ) राज्य सरकार बैंक या किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था द्वारा रिक्शा क्रय हेतु ऋण स्वरूप कोई राशि प्रदान की गई है तो उसकी किश्तों के सामयिक भुगतान में असफल नहीं होगा व उसकी देय/किश्त नहीं चढ़ायेगा।

8. **रिक्शा पर रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगाना :–** रिक्शा अनुज्ञप्ति का प्रत्येक धारक अपने रिक्शा पर, जिसके लिये उसे रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, स्वंय के व्यय पर, धातु की उस आकार की एक प्लेट, जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, रिक्शा के पीछे किसी उपयुक्त स्थान पर लगायेगा जिस पर रिक्शा रजिस्ट्रेशन की संख्या अंकित होगी।

स्पष्टीकरण :– उक्त प्लेट का धरातल काले रंग का होगा जिस पर सफेद पेन्ट से अनुज्ञप्त रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित किया जायेगा, रजिस्ट्रेशन नम्बर में पूर्व ऐसे सांकेतिक अक्षरों को भी अंकित किया जायेगा कि जिससे बोर्ड के नाम की पहचान हो सके, जैसाकि अनुज्ञा प्राधिकारी द्वरा निर्देश दिया जाये, उदाहरर्णाथ नगर परिषद, जयपुर में अनुज्ञप्त रिक्शा रजिस्ट्रेशन नम्बर 779 के लिये 'न.प.ज. 779' अंकित किया जा सकता है।

9. **चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया :– (1)** ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो इन विनियमों के अधीन चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु पात्र है, चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु इन विनियमों के प्रभावशील होने की तिथि से

एक माह में अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रपत्र–VII में लिखित में आवेदन कर सकेगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रपत्र–VII में प्रजिका में इसे क्रम से पंजीकृत करेगा और आवेदक को प्रपत्र–III में एक रसीद देगा।

(3) आवेदन प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी आवेदन की संवीक्षा करेगा और जांच करने के पश्चात् यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसा आवश्यक समझे, विनिश्चय करेगा कि क्या आवेदक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु पात्र है, विनिश्चिय की संसूचना आवेदन को प्रपत्र–IV में दी जावेगी।

(4) उप–विनियम (3) के अधीन जांच एवं विनिश्चय के प्रयोजनार्थ साधारणतया आवेदक की घोषणा पर विश्वास किया जायेगा, जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों का वर्णन करने के पश्चात् अन्यथा आदेश न दिये जाये।

(5) यदि आवेदक चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु पात्र पाया जाय तो वह स्वंय को अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष ऐसे स्थान और समय तथा तारीख को उपस्थित करेगा, जो इस प्रयोजनार्थ अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियत की जाय, परन्तु इस प्रकार नियत तारीख प्रपत्र–VI में आवेदक पर नोटिस के तामील की तारीख से 15 दिन से कम और 30 दिन से अधिक नहीं होगा। यदि आवेदक नियत स्थान, समय एवं तारीख पर अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो चालक अनुज्ञप्ति के लिए उसका आवेदन रद्द कर दिया गया समझा जावेगा जब तक कि नियम समय एवं तारीख समाप्ति से पूर्व आवेदक के आवेदन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय बढ़ा न दिया जाय जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित में वर्णित पर्याप्त आधारों पर 30 दिन तक के बढ़ाने में सक्षम होगा।

(6) चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, अनुज्ञापन प्राधिकारी स्वंय को संतुष्ट करेगा कि

(1) आवेदक इन विनियमों के अधीन चाल अनुज्ञप्ति के लिये पूर्ण रूप से पात्र है,

(2) उसे किराया की सूची, यदि ऐसी बोर्ड द्वारा विहित की गई हो, का पूर्ण ज्ञान हो,

(3) वह नगरपालिका क्षेत्र के भीतर के प्रमुख रास्तों, पर्यटन महत्व के स्थानों और कार्यालयों से सुपरिचित हो,

(4) वह सड़क नियमों व चालकों तथा ट्रेफिक पुलिस द्वारा उपयोग किये जाने वाले संकेता को जानता है,

(5) उसका शारीरिक गठन अच्छा है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है और 18 वर्ष की आयु से कम का नहीं है।

(6) वह ऐसे चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जायें अभिप्राप्त करेगा, यदि उसके द्वारा ऐसा किये जाने की अपेक्षा की जाय।

(7) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उप–विनियम (6) के अनुसार संतुष्ट है तो वह प्रपत्र–IX में पंजिका में चालक का नाम पंजीकृत करेगा और धातु के बैज जिस पर उसकी चालक अनुज्ञप्ति की संख्या लिखी होगी सहित प्रपत्र–X में आवेदक को प्रपत्र–VIII में पंजिका में आवश्यक प्रविष्टियां करने के पश्चात्, चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा, प्रत्येक चालक अनुज्ञप्ति के साथ निम्नलिखित ऐसी रीति में संलग्न होंगे जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी निर्देश देः–

(क) पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ; और

(ख) चालक के बायें हाथ के अंगूठे की निशानी या यदि यह

साक्षर है तो, साथ में उसके हस्ताक्षर भी।

स्पष्टीकरणः– **(1)** धातु के बैज पर चालक अनुज्ञप्ति का नम्बर अंकित होगा तथा नम्बर से पूर्व ऐसे सांकेतिक अक्षरों को भी अंकित किया जावेगा जिससे बोर्ड के नाम की पहचान हो सके जैसा कि अनुज्ञापन प्राधिकारी निर्देश दे, उदाहरणार्थ नगर परिषद, जयपुर में अनुज्ञप्त चालक क्रमांक 779 के लिये 'न.प.ज. (रि.चा.) 779' अंकित किया जा सकता है।

(2) इन विनियमों के अधीन चालक अनुज्ञप्ति व रिक्शा अनुज्ञप्ति

साथ–साथ प्रदान की जावेगी।

(8) चालक अनुज्ञप्ति के लिये प्रपत्र–VIII में आवेदन के साथ चालक के फोटोग्राफ की दोहरी प्रतियां संलग्न की जानी चाहिये।

(9) यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उप–विनियम (6) के अनुसार संतुष्ट न हो तो साक्षात्कार के तुरंत पश्चात् वह आवेदक

की त्रुटियां दूर करने और इस सम्बंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना करने को कहेगा तथा फिर से निश्चित किये गये समय, तारीख और स्थान पर स्वंय को उपस्थित करेगा। दिया गया समय, तारीख और स्थान आवेदक को तुरंत संसूचित किया जायेगा और वह संसूचना की तारीख से 15 दिन से कम और 30 दिन से अधिक का नहीं होगा।

(10) आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष पुनः दिये गये समय, तारीख और स्थान पर उपस्थित होगा और साक्षात्कार के पश्चात् यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उप–विनियम (6) के अनुसार संतुष्ट न हो तो चालक अनुज्ञप्ति हेतु उसका आवेदन रद्द कर दिया जायेगा। यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी उप'विनियम (6) के अनुसार संतुष्ट हो जाये तो, वह आवेदक को उप– विनियम (7) में प्रावधिक धातु बैज सहित चालक अनुज्ञप्ति प्रदान कर देगा।

10. चालक अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु शर्ते :– इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक चालक अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी और इन विनियमों के अधीन प्रदत्त ऐसी अनुज्ञप्ति का कोई भी धारकः–

(क) ऐसा कोई रिक्शा न ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा या चलायेगा जिसके लिये कोई रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान न की हुई हो,

(ख) ऐसा कोई रिक्शा न तो ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा या चलायेगा जिस पर समुचित रूप से चित्रांकित या लगाई गई रजिस्ट्रेशन संख्या उपदर्शित करते हुए नंबर प्लेट, डिस्क या यात्री भाड़ा सूची, यदि बोर्ड द्वारा विहित की गई हो, न हो, या यांत्रिक रूप से रिक्शा ठीक न हो।

(ग) जिस रिक्शे को वह उपयोग में ले रहा हो, प्रयोग कर रहा हो, प्रवर्तित कर रहा हो या चला रहा हो, उसकी मरम्मत करने एवं उसके रोगाणु रहित कराने के बारे में किसी भी आदेश को, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी जारी करें, अनुपालना करने में उपेक्षा नहीं करेगा।

(घ) किसी अन्य रिक्शा या दूसरे वाहनों को किराये या भाड़ो पर लेने से नहीं रोकेगा और न रोकने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को

किसी रिक्शा या अन्य वाहन पर चढ़ने या उतरने में जानबूझकर बाधा या अड़चन नहीं डालेगा।

(ड0) यात्री भाड़ा सूची, यदि विहित की हुई हो या रिक्शा पर हो, में दिये गये यात्री भाड़े से अधिक नहीं मांगेगा।

(च) किसी दण्डनायक या अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के या ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस दल के किसी सदस्य के आदेश के अनुसरण में अपना रिक्शा पेश करेगा।

(ज) रात्रि समय में रास्तों और सार्वजनिक स्थानों में रिक्शे पर समुचित स्थान पर आगे की ओर लाईट (बत्ती) और पीछे की ओर लाल रिफ्लेक्टर या लाल लाईट या खतरे की लाईट लगाये बिना रिक्शा न तो ठेलेगा और न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा, या चलायेगा।

(झ) रिक्शा भाड़े पर लेने वाले द्वारा छोडी गई ऐसी सम्पत्ति, जिसका कोई दावा नहीं किया गया हो, को उसके छोड़े जाने के 12 घन्टे के भीतर समीपस्थ पुलिस स्टेशन में जमा कराने में असफल नहीं होगा।

(ञ) नशे की हालत में न तो रिक्शा ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा या चलायेगा या रिक्शा प्रवर्तित करते समय किसी भी प्रकार की अपमानजनक गाली गलोच वाली और अश्लील हाव, भाव या अंगविक्षेप का उपयोग नहीं करेगा।

(ट) अपने रिक्शें को सार्वजनिक स्थान, फुटपाथ या सड़क पर इस प्रकार से खड़ा नहीं करेगा कि उससे यातायात में किसी प्रकार की बाधा या असुविधा उत्पन्न हो,

(ठ) उचित कारण के बिना भाड़े पर रिक्शा ले चलने से मना नहीं करेगा और न ही भाड़ेदार द्वारा उसे मुक्त किये जाने के से पूर्व छोड़कर जायेगा।

(ड़) अपने रिक्शे मेंः–

(1) दो वयस्क सवारियां एवं 10 किलो ग्राम सामान,

(2) एक वयस्क सवारी, 12 वर्ष से कम उम्र के साथ अथवा उसके बिना

एवं 10 किलो ग्राम सामान,

(3) 12 वर्ष से कम आयु के तीन बालक एवं 10 किलो ग्राम सामान,

(4) एक बार में एक सवारी एवं 20 किलोग्राम सामान एवं,

(5) कोई सवारी न होने पर अथवा जो केवल सामान ढोने के प्रयोजन

हेतु ही हो 120 किलो ग्राम सामान से अधिक नहीं ले जायेगा।

(ढ) अपनी चालक अनुज्ञप्ति का हस्तान्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं करेगा।

(ण) इन विनियमों के विनियम 11 के अधीन विहित किन्हीं भी कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असफल नहीं होगा।

(त) राज्य सरकार, बैंक या किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था द्वारा रिक्शा क्रय हेतु यदि कोई ऋण स्वीकृत किया गया है तो उसकी किश्तों के सामयिक भुगतान में असफल नहीं होगा न किसी देय किश्त को नहीं चढायेगा।

11. चालक के कर्त्तव्य :– प्रत्येक चालक

(1) रिक्शा एवं चालक अनुज्ञप्ति अपने पास रखेगा और जब कभी भी यातायात ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकर्मी जो हैड कान्सटेबिल के रैंक से नीचे का न हो या बोर्ड के किसी प्राधिकृत अधिकारी जो सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से नीचे का न हो या भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति द्वारा पेश करने को कहा जाय, पेश करेगा।

(2) जिसे चालक अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो, अपनी भुजा पर या अपने शरीर के ऐसे भाग पर, जहां वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे, एक धातु का बैज जिस पर उसकी चालक अनुज्ञप्ति की संख्या लिखी होगी, धारण करेगा।

(3) अपना बैज उसकी चालक अनुज्ञप्ति की समाप्ति, निलम्बन या प्रतिसंहारण पर अनुज्ञापन प्राधिकारी को लौटा देगा।

(4) नशे की स्थिति में वह न तो रिक्शा ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा या न चलायेगा या किसी भी प्रकार की अपमानजनक, गाली–गलौच वाली या अश्लील भाषा का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य रिक्शा के चालक को किसी व्यक्ति को लेने में जानबूझकर कर बाधा या अड़चन नहीं डालेगा या किसी अन्य रिक्शा चालक को भाड़े या किराये पर लेने से गलत प्रकार से

न तो रोकेगा और न ही किसी प्रकार से उसे रोकने का प्रयास करेगा।

(5) सम्पूर्ण सावधानी और पूर्वावधानी सहित रिक्शा ठेलेगा, प्रयोग करेगा, प्रवर्तित करेगा या चलायेगा और समस्त सड़क नियमों का पालन करेगा।

(6) यातायात विनियमन या रिक्शा स्टेण्ड पर रिक्शा नियंत्रण के लिये यातायात ड्यूटी पर तैनात किसी भी पुलिस अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के किसी भी निर्देश की अवज्ञा नहीं करेगा।

(7) रिक्शा चलाते समय या रिक्शा स्टेण्ड पर खड़े होने पर रिक्शा किराये पर देने से इन्कार नहीं करेगा।

(8) जबकि रिक्शे के टायर, ट्यूब, ब्रेक और रिक्शा के अन्य भाग या रिक्शा चलाने हेतु प्रयोग की गई साईकिल पूर्ण तथा चालू हालत में न हो, यह न तो रिक्शा ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा या चलायेगा।

(9) भाड़े पर लेने वाले व्यक्ति को बिना उसकी सहमति से नहीं छोड़ेगा।

(10) बोर्ड द्वारा विहित अधिकतम भाड़े से अधिक नहीं मांगेगा।

(11) जब कभी अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा उसे ऐसा करने के आदेश दिये जायें, वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

(12) अपनी चालक अनुज्ञप्ति को किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिये जाने की अनुमति नहीं देगा।

(13) चालक अनुज्ञप्ति की समस्त शर्तो का अनुपालन करेगा।

12. अनुज्ञप्ति फीस :– **(1)** इन विनियमों के अधीन आवेदक को चालक अनुज्ञप्ति और रिक्शा अनुज्ञप्ति केवल आवेदक द्वारा बोर्ड को निम्नलिखित फीस का संदाय करने के पश्चात् ही प्रदान की जायेगीः–

(i) चालक अनुज्ञप्ति फीस रू. 15/– प्रतिवर्ष

(ii) चालक के लिए धातु का बैज रू. 3/– प्रतिवर्ष

(iii) रिक्शा अनुज्ञप्ति फीस (सामान ढोने वाले रिक्शाओं को छोडकर) रू. 5/– प्रतिवर्ष

(iv) केवल सामान ढोने वाले रिक्शाओं के लिए रिक्शा अनुज्ञप्ति फीस

रू. 50/–

प्रतिवर्ष

(2) चालक अनुज्ञप्ति, धातु का बैज या रिक्शा अनुज्ञप्ति के खो जाने, फट जाने या विकृत हो जाने की अवस्था में डुप्लीकेट प्रति निम्न फीस के संदाय पर ही दी जा सकेगी। ऐसी डुप्लीकेट प्रति मूल अनुज्ञप्ति बैज के फट जाने या विकृत हो जाने की अवस्था में उसे अनुज्ञा प्राधिकारी को मूल समर्पित करने एवं खो जाने की अवस्था में इस आशय का एक प्रमाणित घोषणा–पत्र प्रस्तुत करने पर जारी की जावेगीः–

(i) डुप्लीकेट/चालक/रिक्शा अनुज्ञप्ति की प्रति के लिये शुल्क रू 2/–

(ii) डुप्लीकेट धातु के बैज के लिये शुल्क
रू. 3/–

13. रिक्शा अनुज्ञप्ति और चालक अनुज्ञप्ति की अवधि :– इस विनियमों के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक रिक्शा अनुज्ञप्ति और चालक अनुज्ञप्ति वित्तीय वर्ष के लिये विधिमान्य होगी और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

14. यात्री भाड़ा और किराया प्रभार :– नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर रिक्शा अनुज्ञप्ति और चालक अनुज्ञप्ति के धारक द्वारा प्रभारित किया जाने वाला अधिकतम यात्री भाड़ा एवं किराया प्रभार ऐसा होगा जो बोर्ड द्वारा विहित किया जाय।

15. रिक्शा अनुज्ञप्ति और चालक अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरणः– यदि ऐसा व्यक्ति जिसे इन विनियमों के अधीन रिक्शा अनुज्ञप्ति चालक या अनुज्ञप्ति या दोनों, यथास्थिति, प्रदान की गई हो, विनियम 7, 8, 10 और 11 में वर्णित किन्ही भी शर्तो का पालन और अनुपालन करने में असफल रहता है या अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात् विनियम 4 या 5 के अधीन पात्र नहीं रहता है या जिसके रिक्शा के सम्बंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी विनियम 6 (8) या 9(6) के अधीन संतुष्ट नहीं हो पाता हैं या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाता है कि रिक्शा अनुज्ञप्ति या चालक अनुज्ञप्ति या दोनों, यथास्थिति, किसी कपट या दुर्व्यपदेशन के माध्यम से अभिप्राप्त की गई थी या राज्य सरकार, बैंक या किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध रिक्शा क्रय

हेतु दी गई ऋण राशि के पटे देय किसी किश्त या किश्तों की राशि चढ़ी हुई है व इसका भुगतान नहीं किया गया है तो, अनुज्ञापन प्राधिकारी, द्वारा व्यक्ति की सुनवाई करने के पश्चात् रिक्शा अनुज्ञप्ति या चालक अनुज्ञप्ति या दोनों, यथास्थिति को विहित कालावधि के लिये रद्द कर सकेगा, प्रतिसंहरण कर सकेगा या निलम्बन कर सकेगा।

16. **रिक्शे को रोकने, अभिग्रहण करने या निरूद्ध करने की शक्ति :– (1)** अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी जो सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से नीचे का न हो और यातायात ड्यूटी पर तैनात कोई भी पुलिस अधिकारी जो हैड कांसटेबल के रैंक से नीचे का न हो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी रिक्शा चालक से ऐसा रिक्शा रोकने और उसे तब तक खड़े रहने की अपेक्षा कर सकेगा जो कि उसे यह संतुष्ट करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो कि चालक के पास विधिमान्य चालक तथा रिक्शा अनुज्ञप्ति है, चालक बैज है और सम सम्यक रूप से अनुज्ञप्त रिक्शा का उपयोग कर रहा है या प्रयोग कर रहा है, ठेल रहा है, प्रवर्तित कर रहा है या चला रहा है और उसके ब्रेक, ट्यूब, टायर, आगे की बत्ती, पीछे का लाल रिफ्लेक्टर या पीछे की बत्ती या पीछे की खतरे की लाइट, इसके अन्य भाग ठीक है या रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई है और उपयोग मे लेने, ठेलने, प्रयोग करने या प्रवर्तित करने के लिये पूर्णरूपेण योग्य है और यह भी कि विनियम 12 के उपबंधो के अनुसार बकाया फीस की रकम का बोर्ड को संदाय कर दिया गया है।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी जो सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से नीचे का न हो और यातायात ड्यूटी पर तैनात कोई पुलिस अधिकारी जो हैड कांस्टेबल के रैंक से नीचे का न हो, यदि उसके यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई रिक्शा इन विनियमों के उल्लंघन में या बिना रिक्शा अनुज्ञप्ति के या उस रिक्शा से सम्बंधित ऐसी रिक्शा अनुज्ञप्ति की किसी शर्त के उल्लंघन में उपयोग में लिया गया है, ठेला गया है, प्रयोग किया गया है, प्रवर्तित किया गया है या चलाया गया है तो वह, ऐसे रिक्शा का अधिग्रहण कर सकेगा और निरूद्ध कर सकेगा, और प्रयोजनार्थ कोई भी कदम उठायेगा जो वह उस रिक्शा की अस्थाई निरापद अभिरक्षा के लिये समुचित समझे।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी के अलावा कोई अधिकारी, जिसने उप–विनियम (2) में रिक्शा का अभिग्रहण किया है या उसे विरूद्ध किया है, ऐसे रिक्शे के अभिग्रहण या निरूद्ध किये जाने के लिखित कारणों सहित रिपोर्ट तुरंत अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा और ऐसा रिक्शा भी अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास जमा करा देगा।

(4) जब कभी भी किसी रिक्शा का उप विनियम (2) के अधीन अभिग्रहण किया जाता है या निरूद्ध किया जाता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारीः–

(क) इन विनियमों के विनियम 25 में अंतर्विष्ट उपबंधो के अनुसार अभिसंधान (Compound) कर सकेगा या समझौता (Compromise) कर सकेगा।

(ख) विनियम 22 में तथा उपबंधित लेखा अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकेगा और ऐसी दशा में अभिग्रहित रिक्शा नगरपालिका भंडार में रखा जायेगा और अनुज्ञापन प्राधिकारी न्यायालय में विनिश्चय के अनुसार कार्यवाही करेगा।

17. **रिक्शा अनुज्ञप्ति और रिक्शा निरीक्षण :–** वह व्यक्ति, जिसे इस विनियमों के अधीन रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, अपनी रिक्शा अनुज्ञप्ति साथ ही रिक्शा भी किसी स्थान, समय एवं तारीख को पेश करेगा जब कभी भी :–

(क) किसी मजिस्ट्रेट,

(ख) अनुज्ञापन प्राधिकारी या इन निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी जो सहायक राजस्व निरीक्षक के पद से नीचे का है न हो, और

(ग) ड्यूटी पर तैनात पुलिस दल के किसी भी सदस्य, जो हैड कांस्टेबिल के औहदे के नीचे का न हो,

द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाये,

18. **रिक्शे को रोगाणु रहित करना:–** जब कभी भी अनुज्ञापन प्राधिकारी रिक्शे को रोगाणु रहित करना आवश्यक समझे तो वह उस व्यक्ति को, जिसे इन विनियमों के अधीन रिक्शा अनुज्ञपित या चालक अनुज्ञप्ति या दोनों, यथास्थिति, प्रदान की गई है, इस कार्य हेतु वह रिक्शा पेश करने को कहेगा, ऐसा रोगाणुनाशन के लिये कोई भी व्यय प्रभारित नहीं किया जायेगा।

19. **चालक अनुज्ञप्ति और रिक्शा अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण :–** **(1)** कोई भी व्यक्ति, जो विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति या रिक्शा अनुज्ञप्ति या दोनों, यथास्थिति, धारण करता हो, और इसका नवीनीकरण कराने का इच्छुक हो प्रपत्र 1 या VII, यथास्थिति, लिखित में अनुज्ञापन प्राधिकारी को आवेदन करेगा।

(2) ऐसे आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को उस वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष के फरवरी माह में प्रस्तुत किये जायेंगे जिसके लिये चालक अनुज्ञप्ति या रिक्शा अनुज्ञप्ति या दोनों यथास्थिति, नवीनीकरण किया जाना है,

(3) उक्त विनिर्दिष्ट कालावधी के पश्चात् प्राप्त कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा और इसके पश्चात् किसी प्रस्तुत आवेदन पर किसी भी चालक अनुज्ञप्ति या रिक्शा या दोनों, यथास्थिति, का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।

(4) केवल उसी व्यक्ति को चालक अनुज्ञप्ति या रिक्शा अनुज्ञप्ति या दोनो, यथास्थिति, का नवीनीकरण प्रदान किया जायेगा जो नवीनीकरण के लिये आवेदन की तारीख पर विनियम 4 या 5 के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु पात्र हो और जिसके बारे में और उसके रिक्शा के बारे में अनुशासन अधिकारी विनियम 6(8) या विनियम 9(6) के अनुसार संतुष्ट हो।

परंतु ऐसे व्यक्ति को कोई नवीनीकरण प्रदान नहीं किया जायेगा जिसने प्रपत्र–1 में निम्न आशय की घोषणा की होः–

(i) या तो राज्य सरकार या बैंक किसी भी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था द्वारा

शक्ति चालित वाहन या शक्ति चालक रिक्शा के क्रय के लिये ऋण मंजुर

किया गया हो।

(ii) विनियम 15 के अधीन जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई हो या उसका

प्रतिसंहरण कर दिया गया हो,

(iii) वह इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन रिक्शा अनुज्ञप्ति या चालक अनुज्ञप्ति

हेतु पात्र न रहा हो, या

(iv) राज्य सरकार या बैंक या किसी भी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था द्वारा रिक्शा

क्रय करेन हेतु ऋण दिये जाने की अवस्था में ऐसे ऋण की कोई भी किश्त

देय हो।

(5) नवीनीकरण के लिये आवेदन प्रपत्र–1, या प्रपत्र–vii, यथास्थिति, में पंजीका में प्रविष्ठ किया जायेगा जिसके सम्बंध में रसीद प्रपत्र–III में दी जायेगी और इसे विनियम 6 या 9, यथास्थिति, के उपबंधो के अनुसार उस रूप में संवीक्षित किया जायेगा, अग्रसर किया और

विनिश्चित किया जायेगा जैसे कि यह आवेदन चालक अनुज्ञप्ति या रिक्शा अनुज्ञप्ति के लिये हो उसके पश्चात विनियम 7 और 10 यथास्थिति, के उन्हीं निबन्धता और शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उसी प्रकार प्रापत्र–VI या X यथास्थिति, में या तो आवेदन रद् कर दिया जायेगा या अनुज्ञप्ति या नवीनीकरण कर दिया जायेगा। अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये फीस वह ही होगी जो विनीयम 12 में विहित है और अनुज्ञप्ति विनियम 15 के अधीन प्रतिसंहरणीय, निलंबनीय और रद्करणीय होगी।

(6) नवीकृत चालक अनुज्ञप्तिम या रिक्शा अनुज्ञप्ति इस विनियम के उपबंधो के अनुसार
आगे भी नवीनीकरण योग्य होगी।

20. रिक्शा की संख्या का परिसीमन और इसका क्रेमिक उत्पादन :– **(1)** राज्य सरकार के निर्देशों, यदि कोई हो, और उसके पूर्वानुमोदन के अध्यधीन बोर्ड प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्राधिकार में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नवीनीकृत रिक्शा अनुज्ञप्ति की संख्या परिसीमित करेगा।

(2) इन विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा यह पाया जाये कि नवीनीकरण के लिये आवेदकों की संख्या जो सब बातों में नवीनीकरण के लिये पात्र है और जिनके तथा उनके रिक्शाओं के बारे में अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी विनियम 6 (8) या 9(6) के अधीन संतुष्ट हो, उप–विनियम (1) के अधीन बोर्ड द्वारा विहित संस्था से अधिक हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी भाग्य पत्रक निकालकर विनिश्चित करेगा कि नवीनीकरण के लिये किसके आवेदन रद्द किये जाते है।

(3) किसी भी अधिनियम, नियमो उप–विधियों या विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी (31 मार्च, 1998) के पश्चात् कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की सीमाओं के भीतर ऐसे सार्वजनिक स्थानों में रिक्शा प्रयोग नहीं करेगा, न ही चलायेगा या उपयोग में नहीं लेगा।

21. अपीलः– अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किये गये या पारित किसी आदेश द्वारा व्यक्ति या संभावित कोई भी व्यक्ति उसके प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर या उसकी जानकारी में आने के 15 दिन के भीतर, जो भी पूर्वतन हो, अध्यक्ष या उस द्वारा मनोनीत बोर्ड के किसी अन्य सदस्य या अधिकारी को अपील कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चिय अंतिम होगा।

22. अपराधः– **(1)** इन विनियमों के अधीन अपराध का संज्ञान अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी की शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जावेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इन विनियमों के उपबंधो का उल्लंघन करता है, ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो 50 रूपये तक हो सकेगा तथा लगातार उल्लंघन करने पर और भी जुर्माने से दंडनीय होगा जो दोष सिद्धी तारीख के पश्चात् उस अवधि के दौरान प्रतिदिन 5 रूपये तक हो सकेगा जब तक कि इस प्रकार अपराध करता रहे।

परंतु ऐसे रिक्शे की दशा में जिसके लिये इन विनियमों के अधीन रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई है, ऐसे रिक्शे को जब्त किया जावेगा तथा ऐसे अर्थदंड से दंडित किया जावेगा जो 500 रूपये तक हो सकेगा।

(3) उप–विनियम (2) में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी अनुज्ञप्तिधारी यदि इन विनियमों के किन्ही भी उपबंधो को भंग करता है या उनका उल्लंघन करता है तो, उसके अनुज्ञप्ति भी रद्द की जा सकेगी या निश्चित् कालावधि के लिये प्रतिसंहारित या निलंबन की जा सकेगी।

(4) इन विनियमों के अधीन आरोपित जुर्माने की राशि, जब्त किया गया सामान न्यायालय द्वारा सम्बंधित बोर्ड के कोष में आंकलित किया जावेगा/भिजवाया जावेगा।

23. रिक्शाओं के लिये स्टेण्ड :– बोर्ड, पुलिस अधीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से परामर्श करके, अनुज्ञप्ति रिक्शाओं के लिये स्टेण्ड के रूप में समय–समय पर स्थान नियत करेगा और ऐसे स्टेण्डों के सिवाय कोई भी ऐसा रिक्शा प्रतिक्षा नहीं करेगा।

24. राज्य सरकार या निदेशक की शक्ति :– (1) राज्य सरकार या निदेशक अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा किये गये निवेदन पर और ऐसा करने हेतु संतुष्ट होने के पश्चात् इन विनियमों में विहित समयावधि को (31 अक्टूबर, 1982) तक बढ़ा सकेगा।

(2) राज्य सरकार या निदेशक द्वारा किसी ऐसे विशेष परिस्थितियों में जिसके लिये इन विनियमों में प्रावधान विहित नहीं है, किसी रिक्शे अथवा चालक अथवा दोनों, यथास्थिति, के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु सम्बंधित अनुज्ञापन प्राधिकारी को आदेश दिये जा सकेंगे व ऐसा अनुज्ञापन प्राधिकारी, तदानुसार अनुपालना कर राज्य सरकार अथवा निदेशक का अनुपालना प्रतिवेदन भिजवायेगा।

(3) राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग अथवा निदेशक द्वारा इन विनियमों के सम्बंध में उत्पन्न समस्त शंकाओं का समाधान किया जा सकेगा व विनियमों के भली प्रकार क्रियान्वयन हेतु समय–समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड को निर्देश किये जा सकेंगे जिसके अनुपालन हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी अथवा बोर्ड बाध्य होगा।

25. अपराधों का अभिसंधान या समझौता करने की शक्ति :– इन विनियमों के उपबंधो के अधीन दंडनीय समस्त अपराधों का अभिसंधान या समझौता बोर्ड द्वारा राजस्थान म्यूनिसीपालिटीज (कंपाउण्डिग एण्ड कम्प्रोमाइजिंग ऑफ आफेसेंज) कला, 1966 का सत्समय प्रवृत नियमों के अनुसार उसके लिये क्षतिपूर्ति के रूप में ऐसी धनराशि स्वीकार कर लिया जा सकेगा जो इन विनियमों के विनियम 12 के अधीन वसूलीय फीस के अलावा 50/– रूपये से अधिक नहीं होगी।

परंतु ऐसे रिक्शे के सम्बंध में अभिसंधान या समझौता नहीं किया जा सकेगा जिसके लिये इन विनियमों के अध्यधीन रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं की गई हो।

26. **निरसन एवं व्यावृत्तिः–** राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम, 1973 इन विनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् निरसित हो जायेंगे, परन्तु उपर्युक्त निरसित विनियम के अधीन की गई कोई भी कार्यवाही, जहाँ तक कि वह इन विनियमों के उपबंधो से असंगन न हो, इन विनियमों के अधीन की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

प्रपत्र – I
रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र
(विनियम 6 और 19 देखियें)

क्रमांकः .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
नगर परिषद् बोर्ड/परिषद्
.....

मैं ..... पुत्र .... जाति..... आयु ..... निवासी .... रिक्शा की बाबत् जिसका वर्णन यहां नीचे दिया गया है, जो नगरपालिका बोर्ड/परिषद् .... की नगरपालिका सीमाओं के भीतर मेरे द्वारा उपयोग में लिया जाना है, प्रयोग किया जाना है, प्रवर्तित किया जाना है, चलाया जाना है, रिक्शा अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियां प्रदान किए गए/नवीनीकरण हेतु एतद्द्वारा आवेदन करता हूँ और निम्नानुसार निवेदन करता हूं कि :–

(i) मैं मेरे स्वामित्वाधीन या मेरे पास राजस्थान राज्य कहीं भी एक से अधिक रिक्शा नहीं है।

(ii) मैं 18 वर्ष की आयु से कम का नहीं हूँ एवं मैंने राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम 1978 के अध्यधीन रिक्शा

चालक अनुज्ञप्ति संख्या ..... दिनांक ..... प्राप्त कर ली है, प्राप्त करने हेतु आवेदन संख्या ..... बोर्ड/परिषद कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है एवं मैं रिक्शा चालक अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु उक्त विनियमों के अधीन पात्र हूँ।

या

मैं अनुज्ञप्त रिक्शा चालक हूँ व शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हूं .... चिकित्सालय के चिकित्सकीय विधियेना का चिकित्सा प्रमाण–पत्र संलग्न है। मेरे पास जीविकोपार्जन हेतु अन्य कोई समुचित साधन नहीं है। मेरे निम्न वर्णन के रिक्शे को चलाने, ठेलने, प्रयोग करने अथवा प्रवर्तित करने हेतु श्री .... पुत्र ..... जाति .... आयु..... जिन्होंने चालक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन सख्या .... को बोर्ड/परिषद कार्यालय में आवेदन कर दिया है को उक्त रिक्शे के चालक के रूप में मनोनीत करता हूॅ।

या

मैं स्वर्गीय श्री ..... पुत्र .... की विधवा पत्नी/अवयस्क पुत्र/पुत्री हूॅ, जो दिनांक ..... को अपनी मृत्यु के समय चालक संख्या ..... धारण करते थे। मेरे एवं मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के पास जीविकोपार्जन हेतु अन्य कोई समुचित साधन नहीं है। मैं मेरे निम्न वर्णन के रिक्शे को चलाने, ठेलने, प्रयोग करने अथवा प्रवर्तित करने हेतु श्री ..... पुत्र .... जाति ..... आयु ..... जिन्होंने चालक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन संख्या ..... दिनांक ..... को बोर्ड/परिषद कार्यालय में आवेदन कर दिया है, को उक्त रिक्शे के चालक के रूप में मनोनीत करता/करती हूँ।

या

मेरा निम्न वर्णन का रिक्शा केवल मात्र सामान ढोने के लिये ही प्रयुक्त या उपयोग में लिया जावेगा व चालक के अतिरिक्त अन्य सवारी को ले जाने, लाने के उपयोग या प्रयोग में नहीं आवेगा, इस रिक्शे की संरचना .... तरह के सामान ढोने हेतु की गई है। मैं इस रिक्शे को चलाने, ठेलने, प्रयोग करने अथवा प्रवर्तित करने हेतु श्री ..... पुत्र ... . जाति ..... आयु..... जिन्होंने चालक अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन संख्या ..... को बोर्ड/ परिषद कार्यालय में आवेदन कर दिया है को उक्त रिक्शे के चालक के रूप में मनोनीत करता/करती हूॅ।

(III) मैंने राज्य सरकार, बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से शक्ति चलित वाहन या रिक्शा क्रय करने के लिये कोई भी ऋण कभी भी मंजूर नहीं हुआ है।

या

मुझे राज्य सरकार ..... बैंक या वित्तीय संस्था जो मान्यता प्राप्त है से निम्न वर्णन के रिक्शे के क्रय हेतु ..... रूपये की राशि ऋण स्वरूप प्राप्त हुई है, जिसकी कोई भी किश्त देय नहीं है/चढ़ी हुई नहीं है।

(IV) मैं रिक्शा अनुज्ञप्ति और राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम 1978 के समस्त निबन्धनों एवं शर्तो का पालन करूंगा।

(V) मेरा रिक्शा जिसका वर्णन यहां नीचे दिया गया है कि बाबत रिक्शा अनुज्ञप्ति उक्त विनियमों के अधीन कभी रद्द नहीं की गई/प्रतिसंहरित नहीं की गई हैः–

रिक्शा का वर्णन

क्र. सं.	मेक	विनिर्माण का वर्ष	पक्षकार का नाम जिससे क्रय की गई	बीजक नगद पत्र रसीद संख्या ..... और तारीख
1	2	3	4	5

दिनांकः .....

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा पता .....

.....

घोषणा

मैं .....पुत्र.....जाति.....
..... आयु..... निवासी .....
..... एतदद्वारा सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं कि पैरा .....
से..... मैं उपर वर्णित आवेदन के विवरण मेरे सवोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सच और सही है। अतः भगवान मेरी सहायता करें।

दिनांक आवेदक के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणन

(किसी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य द्वारा)
मैं ..... (नाम व पदनाम) अनुप्रमाणित करता हूं कि श्री .... पुत्र ..... जाति ..... . आयु ..... निवासी .... ने आवेदन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये है और स्वीकार किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सम्पूर्ण विवरण सच है।

दिनांकः ..... अनुप्रमाणन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

नोटः–

(1) जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

(2) प्रार्थना–पत्र उक्त खण्ड–II के प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों के लिये पृथक–पृथक

मुद्रित करवा लिये जावें व प्रत्येक प्रपत्र का रंग पृथक–पृथक रखा जावें।

————————————————

प्रपत्र– II

(विनियम 6 और 19 देखियें)

नगर परिषद्/बोर्ड .....

रिक्शा अनुज्ञप्ति पंजिका (रजिस्टर)

क्र.सं.	रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान करने/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक	आवेदक का नाम और पता
1	2	3

रिक्शा का विवरण

क्र. सं.	मेक	विनिर्माण का वर्ष	उप पक्षकार का नाम जिससे क्रय की गई	बीजक नगद–पत्र रसीद संख्या और दिनांक
1	2	3	4	5

क्या विनियम 5 के अधीन पात्र है? यदि हां तो पारित आदेश की संख्या और दिनांक सहित कारण	विनियम 6(6) के अधीन संसूचना की संख्या और दिनांक	अंतिम आदेश की संख्या और दिनांक सहित निरीक्षण का परिणाम
6	7	8

क्या विनियम 6(10) के अधीन पुनर्रिरीक्षण के लिये मंगाया गया ? यदि ऐसा हैं तो पुनर्निरीक्षण का परिणाम	अनुज्ञप्ति फीस रसीद संख्या और दिनांक	रिक्शा अनुज्ञप्ति संख्या और दिनांक	क्या रिक्शा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई थी। इस प्रतिसंहरण किया गया था, निसबन किया गया था, अस्वीकृत किया गया था ? यदि ऐसा हैं तो आदेश की संख्या, दिनांक और ब्यौरा दीजिए
9	10	11	12

क्या कोई	अपील में लिये	क्या न्यायिक	ब्यौरे सहित	न्यायिक मजिस्ट्रेट के

अपील की गई थी ?	गये निर्णय का विवरण	मजिस्ट्रेट को कोई शिकायत की गई थी ?	शिकायत का परिणाम	निर्णय के विरूद्ध की गई किसी अपील या पुनर्निरीक्षण का परिणाम
13	14	15	16	17

क्या रिक्शा का अभिग्रहण कर लिया गया है, यदि ऐसा हैं तो उस पर विनिश्चय	यदि आवेदक चालक है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित की गई अनुज्ञप्ति की अनुप्रमाणित फोटो	यदि आवेदक चालक नहीं है तो किस श्रेणी में आता है।	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आद्याक्षर	टिप्पणियां
18	19	20	21	22

————————————————————

प्रपत्र–III
(विनियम 6(3), 9(3) और 19(5) देखिये)

क्रमांक **दिनांकः**

आवेदन की प्राप्ति की रसीद

श्री .....पुत्र .....जाति..... ..... निवासी ..... आज दिनांक ..... माह .....सन् 19..... रिक्शा अनुज्ञप्ति/चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने/ नवीनीकरण हेतु आवेदन संख्या ..... प्राप्त हुआ।

दिनांकः अनुज्ञापन प्राधिकारी नगर परिषद्/बोर्ड .....
.....

———————————————

प्रपत्र–IV

(विनियम 6(6), 9(6) और 19 देखिये)

नोटिस

श्री .....पुत्र.....जाति.....
..... निवासी .....पता.....
.....

विषयः– रिक्शा अनुज्ञप्ति/चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन।

संदर्भः– आपका आवेदन–पत्र क्रमांक ..... दिनांक .....
.....

आपके ऊपर उद्धत के संदर्भ में आपकों सूचित किया जाता है किः–

(1) आप रिक्शा अनुज्ञप्ति/चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं पाये गये और निम्नलिखित कारणों से आपका आवेदन रद्द कर दिया गया हैः–

1. .....
.....

2. .....
.....

3. .....
.....

(2) आप रिक्शा अनुज्ञप्ति/चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने/नवीनीकरण हेतु पात्र पाये गये और आपकों एतद्द्वारा कहा जाता है कि आप स्वंय अपना रिक्शा, जिसकी बाबत् रिक्शा अनुज्ञप्ति/चालक अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है/नवीकृत की जाती है, निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनांक .... को ..... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में .... स्थान पर निरीक्षणार्थ पेश करें।

(3) आप स्वंय दिनांक ..... को ..... बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में ..... स्थान पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित हों।

(4) यदि आप दी गई तारीख, समय और स्थान पर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त रिक्शे को पेश करनें में/स्वंय को उपस्थित करने में असफल रहे, तो आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया समझा जायेगा।

आज दिनांक .....माह.....सन् .... को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा सहित नोटिस दिया गया।

अनुज्ञापन प्राधिकारी
नगर परिषद/बोर्ड

———————————————

प्रपत्र–V

(विनियम 6(9), (11) और 19 देखिये)

रिक्शाओं के पंजीकरण हेतु पंजिका (रजिस्टर)

क्र. सं.	पंजीकरण संख्या	आवेदक/स्वामी का नाम व पता	रिक्शा का विवरण		
			क्र.सं.	मेक	विनिर्माण का वर्ष
1	2	3	4	5	6

अनुज्ञापन प्राधिकारी के अद्योहस्ताक्षर	रिक्शा स्वामी के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
7	8	9

———————

प्रपत्र–VI

(विनियम 6 और 19 देखिये)

नगर परिषद/बोर्ड .....

क्रमांकः ..... दिनांकः .....

.

रिक्शा अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति धारक का विवरण

1. नाम : .....

.....**2.** पिता का नाम : .....

.....

3. पता : .....

.....**4.** आय : .....

.....

एतद्द्वारा, यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती .....

.. पुत्र/पत्नी/पुत्री .....जाति.....

..... आयु ..... निवासी .....

..... जिसका विवरण उपर्युक्तानुसार दिया गया है, को उस रिक्शे के लिये रिक्शा अनुज्ञप्ति, एतद्द्वारा प्रदान/स्वीकृत की जाती है, जिसका विवरण संलग्न अनुसूची में व जो 31 मार्च, 19 ..... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये नगर परिषद/बोर्ड ..... की सीमाओं के भीतर ठेला जाना है, प्रयोग किया जाना है, प्रवर्तित किया जाना है, चलाया जाना है या उपयोग में लिया जाना है।

(क) अनुज्ञप्तिधारी ऐसे व्यक्ति को, जो चालक अनुज्ञप्ति का धारक नहीं है, रिक्शा ठेलने, प्रयोग करने, प्रवर्तित करने या चलाने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसके लिये उसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

(ख) अपने पास चलाने के लिये ऐसे रिक्शे को नहीं रखेगा जिसके लिये कोई रिक्शा अनुज्ञप्ति इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई हो।

(ग) अपने पास विनियम 5 के उपबंधों के अध्यधीन एक से अधिक रिक्शा नहीं रखेगा।

(घ) उक्त रिक्शे की मरम्मत करने एवं उसे रोगोणु रहित कराने के बारे में किसी भी आदेश की, जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी जारी करें, अनुपालना करने में उपेक्षा नहीं करेगा।

(ड0) अन्य रिक्शा या दूसरे वाहन को किराये या भाड़े पर लेने से ही नहीं रोकेगा और न रोकने के प्रयत्न करेगा व किसी व्यक्ति को किसी रिक्शा या अन्य वाहन पर चढ़ने या उतरने में जानबूझकर कर बाधा या अड़चन नहीं डालेगा।

(च) उस किरया प्रभार या यात्री भाड़े से, यदि बोर्ड द्वारा विहित किया गया हो, अधिक प्रभारित (चार्ज) नहीं करेगा।

(छ) दण्डनायक या अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के या ड्यूटी पर तैनात पुलिस दल के किसी सदस्य के आदेश के अनुसरण में अपना रिक्शा पेश करेगा।

(ज) अपने रिक्शें को सार्वजनिक स्थान, फुटपाथ या सड़क पर इस प्रकार से खड़ा नहीं करेगा कि उससे यातायात में बाधा या असुविधा उत्पन्न हों।

(झ) अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी और ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों की अवज्ञा नहीं करेगा।

(ञ) अपनी रिक्शा अनुज्ञप्ति का किसी को हस्तांतरण नहीं करेगा।

(ट) राज्य सरकार, बैंक या किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था द्वारा रिक्शा क्रय हेतु ऋण स्वरूप कोई राशि प्रदान की गई है तो उसका देय किश्तों का सामयिक भुगतान करेगा व उसकी देय किश्तें नहीं चढ़ायेगा।

अनुसूची

फ्रेम सं.	मेक	विनिर्माण का वर्ष	पंजीकरण सं.
1	2	3	4

अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नगर परिषद्/बोर्ड .....

नवीनीकरण

.....तक नवीनीकृत किया गया।

फीस रसीद सं. ..... के द्वारा निक्षिप्त की गई।

दिनांकः .....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के
हस्ताक्षर

नगर परिषद्/बोर्ड .....

———————————————

प्रपत्र–VII
(विनियम 1 और 19 देखिये)
चालक प्रदान किये जाने/नवीनीकरण हेतु आवेदन–पत्र

अनुज्ञापन प्राधिकारी,
नगर परिषद्/बोर्ड
.....

मैं .....पुत्र..... जाति..... .... आयु..... निवासी .... नगरपालिका/बोर्ड की सीमाओं के भीतर रिक्शा चलाने, ठेलने, प्रयोग करने, प्रवर्तित करने या उपयोग में लानें के लिये चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने/नवीनीकरण हेतु, एतद्द्वारा, आवेदन करता हूँ और निम्नानुसार वर्णन करता हूँः–

(1) कि मैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम 38 सन् 1959) की धारा 297–ए और राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालक) विनियम, 1978 के अर्थान्तर्गत एक चालक हूँ और उक्त विनियमों के प्रारम्भ के समय नगरपालिका बोर्ड/ परिषद ..... द्वारा प्रदान की गई अनुज्ञप्ति धारण करता हूँ या राजस्थान में दिनांक (30 जून 1982) के पूर्व से रिक्शा चला रहा हूँ।

(2) कि मेरा जन्मदिन ..... है, आयु .....वर्ष है जो 18 वर्ष से कम नहीं है।

(3) कि मेरे स्वास्थ्य की सामान्य दशा अच्छी है और मैं रिक्शा चलाने (ठेलने) का श्रम और तनाव भली प्रकार सहन कर सकता हूँ।

(4) कि मैं किसी भी संक्रामक बीमारी से पीड़ित नहीं हूँ।

(5) कि मेरे दृष्य एवं श्रवण शक्ति पूर्ण सन्तोषजनक है।

(6) कि मैं यातायात नियमों से भलीं भांति सुपरिचित हूँ और नगरपालिका बोर्ड/परिषद् ..... को नगरपालिका सीमाओं के भीतर की समस्त सड़को, रास्तों, गलियों, पर्यटन महत्व के स्थानों और कार्यालयों का मुझें अच्छा ज्ञान है।

(7) कि मैं आदतन अपराधी या शराब पीने वाली नही हूँ।

(8) कि मैं नैतिक अधमता अन्तर्गत करने वाले किसी अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा कभी भी दोषसिद्ध नहीं किया गया हूँ।

(9) कि मैं यंत्रचलित वाहन या रिक्शा के लिये राज्य सरकार, बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा ऋण कभी भी मंजूर नहीं किया गया है।

(10) कि उक्त विनियमों के अधीन मेरी अनुज्ञप्ति रद्दकरण और प्रतिसंहरण कभी भी नहीं किया गया है।

(11) कि मैंने आवेदन संख्या ..... दिनांक..... द्वारा मेरे ..... रिक्शा की बाबत् रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन कर दिया है। मैं, श्री/कुमारी/श्रीमती ....पुत्र/पुत्री/पत्नी .... जो असुविधाग्रस्त अनुप्त चालक है। श्री .... मृत अनुप्त रिक्शा चालक की विधवा पत्नी, अवयस्क पुत्र/पुत्री है/वाहक रिक्शे के स्वामी है, द्वारा मनोनीत चालक हूँ।

(12) मुझे राज्य सरकार, बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा ..... रूपये की राशि रिक्शा क्रय हेतु ऋण स्वरूप प्रदान की हुई है जिसकी किस्त ..... देय होती है एवं इस ऋण की समस्त किश्तों का आदिनांक भुगतान किया जा चुका है व कोई किश्त देय या चढ़ी हुई नहीं है।

अतः मैं निवेदन करता हूँ कि मुझें उक्त विनियमों के विनियम 9/19 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान/नवीनीकृत की जाये। मैं उक्त विनियमों और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की समस्त शर्तो और उपबंधो या अनुपालन करने का एतद्द्वारा वचन देता हूँ और स्वंय को प्राबद्ध करता हूँ।

दिनांकः .....

आवेदक के हस्ताक्षर
पता .....

.....

नोट :– जो लागू न हो उसे काट दीजिए।

<u>घोषणा</u>

मैं ..... पुत्र ..... जाति ..... आयु ..... निवासी .... एतदद्वारा, सत्यनिष्टापूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त पैरा ..... में ..... वर्णित आवेदन के विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सच एवं सही है अतः ईश्वर मेरी सहायत करें।

दिनांकः ..... **आवेदक के हस्ताक्षर**

अनुप्रमाणन

(किसी मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य द्वारा)

मैं ..... (नाम एवं पदनाम) अनुप्रमाणित करता हूँ कि श्री ..... पुत्र .... जाति ..... आयु ..... निवासी .... ने आवेदन पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए है और स्वीकार किया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सम्पूर्ण विवरण सच है।

दिनांकः ..... **अनुप्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम**

———————————————

प्रपत्र–VIII
(विनियम 9 और 19 देखियें)

नगरपालिका/बोर्ड/परिषद .....
.....

चालक अनुज्ञप्ति पंजिका (रजिस्टर)

क्र. सं.	चालक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने/ नवीनीकरण में	आवेदक का नाम और पता	क्या पहिले से ही चालक अनुज्ञप्ति धारण करता है यदि ऐसा है, तो

	आवेदन की रसीद का दिनांक		अनुज्ञप्ति की संख्या और दिनांक
1	2	3	4

विनियम 9(9) के अधीन संसूचना की संख्या और दिनांक	अंतिम आदेश की संख्या और दिनांक सहित साक्षात्कार, यदि कोई हो, का परिणाम	नया विनियम 9(9) के अधीन पुनः साक्षात्कार के लिये बुलाया गया, यदि ऐसा है तो, पुनर्निरीक्षण का परिणाम	अनुज्ञप्ति फीस रसीद संख्या और दिनांक
5	6	7	8

चालक अनुज्ञप्ति संख्या और दिनांक	क्या अनुज्ञप्ति रद्द प्रतिसह्यत, निलंबित, अस्वीकृत कर दी गई थी, यदि ऐसा है तो, आदेश संख्या और दिनांक और ब्यौरा दीजिये	क्या कोई अपील की गई थी ?	अपील मे लिये गये निर्णय का विवरण
9	10	11	12

क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट को कोई अपील की गई ?	ब्यौरा सहित शिकायत का परिणाम	कार्यकारी मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरूद्ध की गई अपील या पुनरीक्षण का परिणाम	टिप्पणियाँ
13	**14**	**15**	**16**

————————————————————

प्रपत्र–IX
(विनियम 9 और 19 देखिये)

चालक के पंजीकरण के लिये पंजिका

क्र. सं.	अनुज्ञापन सं. /बैज सं.	पिता का नाम सहित चालक का नाम और पता	आयु	शिनाख्त का चिन्ह
1	2	3	4	5

क्या अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत, रद्द या निलंबित की गई, यदि हां तो आदेश की संख्या और दिनांक	अनुज्ञप्तिधारी की आयु प्रमाणित फोटो	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर	अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
6	7	8	9	10

————————————————————

प्रपत्र–X
(विनियम 9 और 19 देखिये)

नगर परिषद/बोर्ड ..... (स्थान) क्र. .....
.....

अनुज्ञप्तिधारी का विवरण

अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन सहित अनुज्ञप्तिधारी का फोटो

1. नाम .....
2. पता .....
3. आयु .....
4. शिनाख्त का चिन्ह .....
.....
5. ऊंचाई .....
.....
6. बायें हाथ के अंगूठे के निशान सहित हस्ताक्षर

एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री .....
. पुत्र .....जाति.....आयु .....
..... निवासी .....
..... जिसका फोटो और विवरण उपर्युक्तानुसार है को 31 मार्च, 197..... को समाप्त होकर नगर परिषद/बोर्ड की .....
के भीतर रिक्शा ..... रजिस्ट्रेशन संख्या .....
..... चलाने के लिये, एतद्द्वारा, चालक अनुज्ञप्ति प्रदान/स्वीकृत की जाती है।

दिनांकः ..... **अनुज्ञापन प्राधिकारी नगर परिषद/बोर्ड**

स्थानः ....
.....

मुद्रा सहित हस्ताक्षर

चालक अनुज्ञप्ति की शर्ते

यह चालक अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्तिधारी को निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान/नवीनीकृत की जाती है कि अनुज्ञप्तिधारीः–

(क) ऐसा रिक्शा नहीं ठेलेगा, प्रयोग करेगा, प्रवर्तित करेगा या चलायेगा जिसकी बाबत् इन नगर परिषद/बोर्ड द्वारा कोई रिक्शा अनुज्ञप्ति प्रदान न की गई हो।

(ख) ऐसा रिक्शा नहीं ठेलेगा, प्रयोग करेगा, प्रवर्तित करेगा या चलायेगा जिस पर समुचित रूप से चित्रांकित या लगाई गई रजिस्ट्रेशन संख्या उपदर्शित करते हुए कोई नम्बर प्लेट, डिस्क या सूची, यदि परिषद/बोर्ड द्वारा विहित की गई हो, न हो, या यांत्रिक रूप से रिक्शा ठीक न हो।

(ग) जिस रिक्शे को वह उपयोग में ले रहा है, ठेल रहा है, प्रयोग कर रहा हो, प्रवर्तित कर रहा हो या चला रहा हो, उसकी मरम्मत करने और उसे रोगाणु रहित करने के बारे में किसी भी आदेश की, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी जारी करें, अनुपालना करने में उपेक्षा नहीं करेगा।

(घ) अन्य रिक्शा या दूसरे वाहन को किराये या भाड़े पर लेने से नहीं रोकेगा और न रोकने का प्रयत्न करेगा या किसी व्यक्ति को किसी रिक्शा या अन्य वाहन पर चढ़ने या उतरने में जानबूझकर बाधा या अड़चन नहीं डालेगा।

(ड0) यात्री भाड़ा सूची, यदि विहित व रिक्शा के साथ लगी हुई हो, में दिये गये यात्री भाड़े से अधिक नहीं मांगेगा।

(च) किसी दण्डनायक या अनुज्ञापन प्राधिकारी या इस निमित्त अनुज्ञापन प्राधिकारी या परिषद/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के या ड्यूटी पर तैनात पुलिस दल के किसी सदस्य के आदेश के अनुसरण में अपना रिक्शा पेश करेगा।

(छ) प्रवृत्त यातायात नियमों का पालन करने में उपेक्षा नहीं बरतेगा।

(ज) रात्रि समय में रास्तों और सार्वजनिक स्थानों में समुचित स्थान पर रिक्शें पर आगे की ओर बत्ती और पीछे की ओर लाल रिफ्लेक्टर या लाल साईट या खतरे की लाईट लगाये बिना रिक्शा न तो ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा या चलायेगा।

(झ) रिक्शा भाड़े पर लेने वाले द्वारा छोडी गई ऐसी सम्पत्ति, जिसका दावा न किया गया हो, को उसके छोडे जाने के 12 घंटे के भीतर समीपस्थ पुलिस स्टेशन में जमा कराने में असफल नहीं होगा।

(ञ) नशे की हालत में रिक्शा न तो ठेलेगा, न प्रयोग करेगा, न प्रवर्तित करेगा या चलायेगा या रिक्शा प्रवर्तित करते समय अपमानजनक गाली–गलौच वाली और अश्लील भाषा या अश्लील हाव भाव या अंग विशेष का उपयोग नहीं करेगा।

(ट) अपने रिक्शे को सार्वजनिक स्थान, फुटपाथ या सड़क पर इस प्रकार से खड़ा नहीं करेगा कि उससे यातायात में बाधा या असुविधा उत्पन्न हो।

(ठ) उचित कारण के बिना भाड़े पर रिक्शा चलाने से मना नहीं करेगा और न ही भाड़ेदार द्वारा मुक्त किये जाने से पूर्व उसे छोड़कर जायेगा।

(ड़) अपने रिक्शे में:–

1. दो वयस्क सवारियां एवं 10 किलोग्राम सामान।

2. एक वयस्क सवारी, 12 वर्ष से कम उम्र के बालक के साथ अथवा उसके

बिना एवं 10 किलोग्राम सामान।

3. 12 वर्ष से कम आयु के तीन बालक एवं 10 किलोग्राम सामान।

4. एक बार में एक सवारी एवं 10 किलोग्राम सामान।

5. कोई सवारी न होने पर अथवा जो केवल सामान ढोने के प्रयोजन हेतु ही हो

120 किलोग्राम सामान से अधिक नहीं ले जायेगा।

(ढ) अपनी चालक अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा।

(ण) इन विनियमों के विनियम 11 के अधीन विहित किन्हीं भी कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में असफल नहीं होगा।

(त) राज्य सरकार, बैंक या किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था द्वारा रिक्शा क्रय हेतु यदि उसे कोई ऋण स्वीकृत किया गया हो तो उसकी किश्तों का सामयिक भुगतान करेगा व किसी भी देय किश्तों को नहीं चढ़ने देगा, और

(थ) राजस्थान नगरपालिका (रिक्शा चालन) विनियम, 1978 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 के किन्ही भी उपबंधो का उल्लंघन नहीं करेगा।

दिनांक .....

वर्ष 19 ..... के लिये नवीनीकृत किया गया।

चालक अनुज्ञप्ति फीस रसीद संख्या .....द्वारा निश्चित की गई।

दिनांक ..... अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नोटः– केवल 31 मार्च, 1982 तक नवीनीकृत किये जाने के लिये।

————————————————